



## fufonk ॠ ॠuk

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल शुष्क वन अनुसंधान परिसर, कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड, जोधपुर (राज.) **ॠ, ॠ ॠ"ॠ ॠnukd 01-04-2016 ॠ s 31-03-2017 rd ds fy, ॠॠॠॠॠॠ < nqz ॠ j okgu ॠ ॠfdk ॠ ॠdk** हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों/संस्थानों से जिन्हे पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष का वाहन पार्किंग ठेके का अनुभव हो निविदा राशि सहित मुहरबंद निविदा दिनांक 30.03.2016 अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित करते हैं, जो कि उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में (यदि इच्छुक हो) जोधपुर मंडल कार्यालय में खोली जायेगी।
2. निविदा की शर्तें निम्नलिखित हैं:-
  - I. निविदा प्रपत्र मुहरबंद लिफाफा, जिस पर कार्य का नाम **ॠॠॠॠॠॠ < nqz ॠ j okgu ॠ ॠfdk ॠ ॠdk** लिखा हो लिफाफों में भेजें।
  - II. इसके साथ बयाना राशि के रूप में अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर के पक्ष में जारी रू. 75,000/- मात्र का मांग पत्र संलग्न होना चाहिये। निविदा स्वीकृत नहीं होने पर यह राशि बिना किसी ब्याज के लौटा दी जायेगी।
  - III. उच्चतम निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर 75,000/- के अलावा बाकी निविदा राशि का मांग पत्र कार्यालय द्वारा जारी स्वीकृत पत्र में दर्शायीं दिनांक के अनुसार अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर के पक्ष में जारी करना होगा। अन्यथा उसका ठेका निरस्त कर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को दिया जाएगा।
  - IV. उच्चतम निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है तो निविदा राशि का 15 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एफ.डी.आर के रूप में जमा करानी होगी जो मंडल कार्यालय के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
  - V. टेन्डरदाता द्वारा वाहन पार्किंग संचालन संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने/किसी और स्थिति में ठेका निरस्त किया जाता है तो इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा वापस नहीं लौटायी जायेगी।
  - VI. निविदा बंद लिफाफ में दिनांक 30.03.2016 को अपरान्ह 3:00 बजे तक अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये। सफल निविदा कर्ता को उनके दायित्व और पार्किंग संचालन से संबंधित इस कार्यालय से अनुबंध करना होगा।
3. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा और वह उच्चतम निविदा स्वीकृत करने को बाध्य नहीं होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता बिना किसी कारण बताये किसी एक अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. जो निविदा कर्ता उपरोक्त सभी शर्तों को अथवा उपर बताये किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करता है अथवा उपर वर्णित शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत नहीं करता है, उसकी निविदा अमान्य होगी।

5. निविदा कर्ता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाती है उसे अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि से पार्किंग संचालन प्रारम्भ करना होगा।
6. न्यूनतम निविदा राशि 6,00,000/- (छः लाख रुपये) होगी। इससे कम निविदा राशि भरने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. निविदा के साथ निवास प्रमाण पत्र, पेन कार्ड नंबर, टीन/सर्विस टैक्स संख्या, पिछले दो वर्षों की आयकर रिटर्न प्रतियां, पिछला अनुभव आदि संगलन करना आवश्यक है।
8. किसी भी सूचना हेतु अद्योहस्ताक्षर अथवा संरक्षण सहायक, उदयपुर से सभी कार्यदिवसों में सम्पर्क कर सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्वविद् (प्र.)

